उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–11/15–16

राज्य –बनाम– अमलेश सिंह

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः–1438/डी0सी0बी0, दिनांकः–11/12/2015 द्वारा अपराधकर्मी अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में 1. साकची थाना काण्ड सं0–240/07, दिनांकः–02/11/07, धारा–302/120बी/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, 2. जुगसलाई (बागबेड़ा) थाना काण्ड सं0–194/11, दिनांकः–26/09/11, धारा–386/387/120बी भा0द0वि0 3. परसुडीह थाना काण्ड सं0–197/12, दिनांकः–01/09/12, धारा –420 / 467 / 468 / 387/34 भा0 द0 वि0, 4. सीतारामडेरा थाना काण्ड सं0–78/05, दिनांकः–29/08/05, धारा–147/323/325/337/307 भा0द0वि एवं 5. साकची थाना काण्ड सं0–246/10, दिनांकः–18/09/10, धारा–224/225/120बी भा0द0वि0 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी जमशेदपुर शहर एवं आस–पास के क्षेत्रों में अपने नाम का भय फैला रखा है तथा इन दिनों इनका आतंक शहर में व्याप्त है। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अपराधकर्मी अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एक संदिग्ध प्रवृति का व्यक्ति है तथा इसकी दोस्ती संदिग्ध व्यक्तियों से भी है। इसके घर में प्रायः संदिग्ध व्यक्तियों का आना–जाना लगा रहता है। इसके एवं इसके घर की जितनी आमदनी होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च करते है। इनकी गतिविधि से व्यवसायियों में एवं आस–पास के लोगों में काफी खौफ का माहौल बना हुआ है एवं आमजन काफी भयभीत है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया। याचित कारणपृच्छा के विरूद्ध अमलेश सिंह द्वारा समर्पित जवाब में आधारहीन बेबुनियाद एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा आरोप को नकारने का प्रयास किया गया है। अपराधकर्मी अमलेश सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषप्रद है। इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0सं0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं	

जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत् इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित अपराधकर्मी अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दिनांकः–08.03.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–07.09.2016 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांकः–02.03.2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–08.03.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–07.09.2016 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी अमलेश सिंह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अमलेश सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

18/2/16

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

18/2/16

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–11/15–16
राज्य –बनाम– अमलेश सिंह

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः–1438/डी0सी0बी0, दिनांकः–11/12/2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध यह वाद झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के तहत् प्रारंभ की गई थी एवं सुनवाई के उपरांत दिनांकः–18.02.2016 को पारित आदेश द्वारा संबंधित अपराधकर्मी को दिनांकः–08.03.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–07.09.2016 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांकः–1166/डी0सी0बी0, दिनांकः–04.08.2016 द्वारा संबंधित अपराधकर्मी के विरूद्ध जिला निष्कासन (तड़ीपार) की अवधि को इस आधार पर विस्तारित करने का अनुरोध किया है कि इनके तड़ीपार (जिला निष्कासन) की अवधि में अपराधिक घटनाओं में अप्रत्यासित रूप से कमी आयी है, संभावना है कि तड़ीपार/जिला निष्कासन की कार्रवाई से मुक्त होने पर संबंधित अपराधकर्मी के द्वारा पुनः अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे पूर्वी सिंहभूम जिले में व्यवसायिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपराधकर्मी अमलेश सिंह को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के तहत कारणपृच्छा की गई कि क्यों नहीं उनके जिला निष्कासन आदेश को विस्तारित किया जाय। विपक्षी अपराधकर्मी अमलेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांकः–06.09.2016 को उपस्थित होकर कारणपृच्छा दायर करने हेतु समय की मॉग की गई । चूँकि संबंधित अपराधकर्मी के जिला निष्कासन की अवधि दिनांकः–07.09.2016 को ही समाप्त हो रही है। अतः उनके द्वारा कारणपृच्छा हेतु समयावधि की मॉग करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के तहत कुख्यात अपराधकर्मी अमलेश सिंह, पे0–चन्द्रगुप्त सिंह, सा0–28 नम्बर रोड, क्वा0 नं0–01, सिदगोड़ा, थाना–सिदगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के तड़ीपार (जिला निष्कासन) की अवधि अगले छः माह तक अर्थात दिनांकः–08.09.2016 से 07.03.2017 तक के लिए विस्तारित की जाती है।	

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा–7 (1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांकः–15.09.2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांकः–08.09.2016 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–07.03.2017 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी अमलेश सिंह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

विपक्षी अमलेश सिंह को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बंधपत्र भरने की तिथि को पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति अमलेश सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

Amit K 6.9.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Amit K 6.9.16
जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C
To SSP JSR
Memo no.-1695(B)/2
dt. 06/09/16